वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,जौनपुर की वित्त समिति की बैठक मा0 कुलपति जी, अध्यक्षता में दिनांक–**07.12.2024** को विश्वविद्यालय अतिथि गृह में सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त– वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही–

1.	प्रो0 वंदना सिंह कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री गोविन्द सिंह(प्रतिनिधि,अपर मुख्य सचिव, वित्त, अपर निदेशक,कोषागार) उ0प्र0 शासन, लखनऊ, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी	सदस्य
3.	डा0 ज्ञान प्रकाश वर्मा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी	सदस्य
4.	प्रो0 जे0एन0 मिश्रा जे0–6 सोनल अपार्टमेंट जार्ज टाउन,प्रयागराज–211002	सदस्य
5.	श्री महेन्द्र कुमार कुलसचिव	सदस्य
6.	डा0 विनोद कुमार सिंह परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
7.	श्री संजय कुमार राय वित्त अधिकारी	सदस्य/सचिव

निर्धारित कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चत की गयी।

प्रस्ताव संख्या–1

दिनांक–28.02.2024 को संपन्न हुई वित्त समिति कार्यवाही की अनुपालन आख्या समिति के संज्ञानार्थ।

निर्णय–

दिनांक–28.02.2024 को संपन्न हुई वित्त समिति की अनुपालन आख्या से समिति संज्ञानित हुई।

प्रस्ताव संख्या–2

दिनांक–28.2.2024 को संपन्न हुई वित्त समिति के कार्यवृत्त के पुष्टि पर विचार–

निर्णय–

समिति द्वारा दिनांक–28.02.2024 को संपन्न हुई बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या–3

वित्तीय वर्ष–2023–24 के बैलेंश शीट (आर्थिक चिट्ठा) के अनुमोदन पर विचार–

निर्णय–

समिति वित्तीय वर्ष–2023–24 के (आर्थिक चिटठा) के मुख्य विन्दुओं के विवरण से संज्ञानित हुई तथा समिति द्वारा वित्तीय वर्ष2023–24 के आर्थिक चिट्ठा विवरण पर सहमति/अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या–4

विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षिक सत्र 2024–25 से इंजीनियरिंग संस्थान में मैकेनिकल (प्रोडक्सन) त्रिवर्षीय डिप्लोमा हेतु शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा अन्य विविध शुल्क निर्धारण पर विचार–

निर्णय–

विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षिक सत्र 2024–25 से संचालित इंजीनियरिंग संस्थान के मैकेनिकल (प्रोडक्सन) त्रिवर्षीय डिप्लोमा हेतु शिक्षण शुल्क ,परीक्षा शुल्क, तथा अन्य विविध शुल्क की व्यवस्था पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया गया–

1st Year Fee

Tuition fee	21000
Examination fee	2000
Enrollment fee	200
Processing	200
Mark sheet fee	200
Sport fee	150
Student welfare fee	100
Rovers Rengers fee	24
Total fee	**23874/-**

2 nd Year Fee

Tuition fee	21000
Examination fee	2000
Processing	200
Mark sheet fee	200
Sport fee	150
Student welfare fee	100
Rovers Rengers fee	24
Total Fee	**23674/-**

3rd Year Fee

Tuition fee	21000
Examination fee	2000
Processing	200
Mark sheet fee	200
Sport fee	150
Student welfare fee	100
Rovers Rengers fee	24
Total Fee	**23674**

नोटः–

1. प्रथम वर्ष में नामांकन शुल्क देय होगा।
2. तृतीय वर्ष में 200 रू0 उपाधि शुल्क देय होगा।

V.S.

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या–5

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों के शुल्क वापसी हेतु यू0जी0सी0 दिशा निर्देश का अनुमोदन तथा पूर्व में लिये गये निर्णय में तद्नुरूप संशोधन किये जाने पर विचार–

निर्णय–

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभिन्न पाठ्क्रमों में प्रवेशित छात्रों के शुल्क वापसी हेतु वि समिति की बैठक दिनांक–25.8.2020 तथा दिनांक–28.3.2022 की पूर्व की व्यवस्था को संशोधित करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या–डी0डी0 नं0 F–2–71/2022 (CPP11) (C–114546) 12 2024 में निहित व्यवस्था को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रस्ताव संख्या–6

बी0बी0ए0, एल0एल0बी0 शुल्क के नवीन व्यवस्था पर विचार–

निर्णय–

दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान में बी0बी0ए0, एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु वि परिषद की बैठक दिनांक–24.11.2017 कार्यसूची संख्या–3 तथा कार्य परिषद की बैठक दिनांक–10.01.20 के कार्यसूची संख्या–3 में लिये गये निर्णय के आलोक में बी0बी0ए0, एल0एल0बी0 के शुल्क प्रस्ताव 5 व बी0ए0एल0एल0बी0 के समान समेकित शुल्क 40,000.00 (चालीस हजार मात्र) रखे जाने तथा व्यवसायि पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए बिजनेस टुअर/इन्डस्ट्रीयल टुअर हेतु 5,000.00 (पॉच हजार मात्र) अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

इसके अतिरिक्त समिति द्वारा उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु कार्ययोजना प्रारूप तथा अन्य तकनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–7

फार्मेसी संस्थान के बजट में दो मानकमद जोड़े जाने के प्रस्ताव पर विचार–

निर्णय–

फार्मेसी संस्थान के वार्षिक आय व्ययक 2024–25 में दो मानकमद 4919 अतिथि प्रवक्ता का भुग तथा 4920 एरियर मद में भुगतान किये जाने हेतु उक्त दो मदों को खोले जाने हेतु सहमति प्रदान गयी।

प्रस्ताव संख्या–8

संकाय भवन में संचालित विज्ञान संकाय के स्नातकोत्तर पाठ्यकम (बायोटेक्नोलॉ माइकोबायोलॉजी, पर्यावरण,बायोकेमेस्ट्री)तथा रज्जू भईया संस्थान में संचालित स्नातकोत्तर विज्ञान वि एम.एस.सी., भौतिक विज्ञान, गणित, केमिस्ट्री, जियोलॉजी पाठ्यकम के शुल्क में समानता स्थापित किये पर विचार–

V.S.

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय–

संकाय भवन में संचालित एम.एस.सी. बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान तथा प्रो0 रज्जू भईया संस्थान में संचालित एम.एस.सी. भौतिक विज्ञान, गणित, केमेस्ट्री, जियोलॉजी के शुल्क व्यवस्था में असमानता पर विचार करते हुए समिति द्वारा निम्नवत शुल्क लिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी–

	वार्षिक शुल्क	
शिक्षण शुल्क–	रू0 34,000.00	
परीक्षा शुल्क–	रू0 4000.00	
नामांकन शुल्क–	रू0 200.00	(उन छात्रों द्वारा देय होगा जिनका वि0वि0 मे पहली बार प्रवेश हुआ है।)
खेलकूद–	रू0 150.00	
छात्र कल्याण शुल्क–	रू0 100.00	
उपाधि शुल्क–	रू0 200.00	(अंतिम वर्ष में देय होगा।)
	38,650.00 (रू0 अड़तीस हजार छः सौ पचास मात्र)	

उक्त शुल्क शैक्षिक सत्र 2025–26 से लागू किये जाने की सहमति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या–9

परीक्षा व्यवस्था में वित्त समिति की बैठक 19.11.2011 के प्रस्ताव संख्या–15, दिनांक–4.1.2016 प्रस्ताव संख्या–6 तथा दिनांक–6.8.2019 प्रस्ताव संख्या–12 में केन्द्रीय मूल्यांकन में परीक्षा कार्य हेतु कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों को पारिश्रमिक दिये जाने हेतु दर का निर्धारण किया गया है पर पुनः दर निर्धारित किये जाने पर विचार–

निर्णय–

शासनादेश संख्या–3/2019/जी–2–41/दस–2019–601/2011 दिनांक–05.3.2019 के आलोक में केन्द्रीय मूल्यांकन के पारिश्रमिक भुगतान हेतु वित्त समिति की बैठक में पूर्व में लिये गये निर्णय दिनांक–19.11.2011 दिनांक–4.1.2016 दिनांक–6.8.2019 के आलोक में विचार किया गया।समिति द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन के स्वरूप तथा अवधि को दृष्टिगत रखते उस संबंध में कार्य करने का विचार व्यक्त किया गया। नयी शिक्षा नीति में सेमेस्टर प्रणाली लागू हाने के कारण केन्द्रीय मूल्यांकन के अवधि में कमी आने तथा विश्वविद्यालय के विभाजन के फलस्वरूप छात्र संख्या में कमी होने के तथ्य को दृष्टिगत रखा गया। विश्वविद्याल के वाह्य तथा आंतरिक परीक्षकों के पारिश्रमिक में समानता का अभिमत अवधि के दृष्टिगत व्यक्त किया गया। परन्तु समिति द्वारा वाह्य तथा आंतरिक मूल्यांकन अवधि में भिन्नता पायी गयी। उक्त शासनादेश दिनांक–5.3.2019 में परीक्षा मूल्यांकन के पारिश्रमिक व्ययवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुए विचार कियां गया। उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 34 में निहित व्यवस्था के आलोक में सेमेस्टर परीक्षा के केन्द्रीय मूल्यांकन के पारिश्रमिक दरों का निर्धारण निम्नवत किये जाने का निर्णय लिया गया–

(1) केन्द्राध्यक्ष (मूल्यांकन)– प्रति सेमेस्टर अधिकतम – 40,000.00

(2) सह केन्द्राध्यक्ष मूल्यांकन)–प्रति सेमेस्टर अधिकतम– 30,000.00

सेमेस्टर परीक्षा केन्द्रीय मूल्यांकन 30 दिवस से कम अवधि चलने की स्थिति में उक्त के संबंध में पारिश्रमिक की दर निम्नवत होगी–

		औसत प्रतिदिन पारिश्रमिक
(i)	केन्द्राध्यक्ष (मूल्यांकन)	रू0 800,00
(ii)	सह केन्द्राध्यक्ष (मूल्यांकन)	रू0 600.00

V.S.

Scanned with OKEN Scanner

यह व्यवस्था श्रेणी सुधार परीक्षा, छूटी हुई परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए भी उक्त प्रतिदिन लागू होगी।

परीक्षा मूल्यांकन के वाह्य सदस्यों को नियमानुसार यात्रा–भत्ता पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत होगा। परीक्षा मूल्यांकन के विश्वविद्यालय परिसर के आंतरिक सदस्यों को यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

विश्वविद्यालय परिसर की सेमेस्टर परीक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन कार्य हेतु 15 दि अधिक कार्य अवधि को दृष्टिगत रखते हुए मूल्यांकन पारिश्रमिक का निर्धारण निम्नवत किये जाने सहमति व्यक्त की गयी–

1. केन्द्राध्यक्ष (मूल्यांकन) प्रति सेमेस्टर अधिकतम रू0–20,000.00
2. सह केन्द्राध्यक्ष (मूल्यांकन) प्रति सेमेस्टर अधिकतम रू0 15,000.00
3. सह केन्द्राध्यक्ष निगरानी (मूल्यांकन) प्रति सेमेस्टर अधिकतम रू0 15,000.00

परिसर की सेमेस्टर परीक्षा, श्रेणी सुधार परीक्षा, छूटी हुई परीक्षा पिछले सत्र की परीक्षाओं के दिन से कम कार्य अवधि होने पर औसत प्रतिदिन की दर पर पारिश्रमिक निम्नानुसार दिये जाने संस्तुति की गयी–

		औसत प्रतिदिन रू0 में
(i)	केन्द्राध्यक्ष (मूल्यांकन)	800.00
(ii)	सहकेन्द्राध्यक्ष (मूल्यांकन)	600.00
(iii)	सहकेन्द्राध्यक्ष (निगरानी)	600.00

इसके अतिरिक्त समिति द्वारा परीक्षा मूल्यांकन से संबंधित आंतरिक परीक्षक मूल्यांकन के भुगतान की संस्तुति की गयी।

परीक्षा मूल्याकन में कम छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय परीक्षा मूल्यांकन के केन्द्राध्यक्ष (मूल्यांकन), सह केन्द्राध्यक्ष (मूल्यांकन) की संख्या को कम किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये।

परीक्षा मूल्यांकन में दैनिक मजदूर लगाये जाने, तृतीय श्रेणी के कर्मियों की परीक्षा मूल्यांकन आवश्यकता, आडिट द्वारा इस संबंध में उठाये गये प्रश्न, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 (भाग 2–4) मूल नियम 11,47 सहायक नियम 24–34 में निहित व्यवस्था, मा0 कुलाधिपति के संख्या–ई–2123/जी.एस. दिनांक–18 अप्रैल, 2022 (राज्य विश्वविद्यालयों के ओवर टाइम देने की बात संज्ञान में आयी है जो कि अनुमन्य नहीं है) व्यवस्था के आलोक में समिति द्वारा आगामी वित्त समिति में विचार करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदया के अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार

प्रस्ताव संख्या–1

विश्वविद्यालय में परीक्षा समिति, प्रवेश समिति, खेलकूद समिति, पुस्तकालय समिति एवं अन्य निकाय की बैठकों में आने वाले समस्त वाह्य सदस्यों को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में विचार-

निर्णय–

विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति, प्रवेश समिति, खेलकूद समिति, पुस्तकालय समिति एवं अन्य निकाय की बैठकों में आने वाले वाह्य सदस्यों को रू0 3,000.00 (तीन हजार मात्र) पारिश्रमिक/मानदेय दिये जाने की सहमति समिति द्वारा प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या–2

दत्तोपंत ठेगड़ी विधि संस्थान तथा फार्मेसी संस्थान में प्रोफेसर (संविदा)/एसोसिएट प्रोफेसर (संविदा) पर नियुक्ति किये जाने पर पारिश्रमिक/मानदेय दिये जाने पर विचार–

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेगड़ी तथा फार्मेसी संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर (संविदा) तथा प्रोफेसर (संविदा) को एक मुश्त पारिश्रमिक दिये जाने के संबंध में समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आलोक में विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निम्न पारिश्रमिक का निर्धारण किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी–

एसोसिएट प्रोफेसर (संविदा) 85,000.00 (पचासी हजार मात्र), प्रोफेसर (संविदा)–1,10,000.00 (एक लाख दस हजार मात्र)।

प्रस्ताव संख्या–3

राजकीय महाविद्यालय, गहमर (संगठक महाविद्यालय) के कार्मिकों (कार्यवाहक प्राचार्य व अन्य) के पारिश्रमिक/मानदेय पर विचार–

निर्णय

राजकीय महाविद्यालय गहमर, गाजीपुर संगठक महाविद्यालय के कार्मिकों (लिपिक, सफाई कर्मी, सुरक्षा गार्ड) तथा प्राचार्य के पारिश्रमिक पर समिति द्वारा विचार किया गया।

समिति इस तथ्य से अवगत हुई कि उक्त कार्मिक अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त महाविद्यालय में रखे जाने हैं।अतः तात्कालिक आवश्यकता विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय कार्यहित में शासनादेश संख्या–4/2017/832/सत्तर–6–2017–97/20 दिनांक–4.8.2017 में निहित व्यवस्था के आधार पर दैनिक मजदूरी के आधार पर पारिश्रमिक देयता पर सहमति निम्नवत प्रदान की गयी–

(1)	सफाई कर्मी	395 रू0	(26 कार्यदिवस)
(2)	सुरक्षा गार्ड	435 रू0	(30 कार्यदिवस)
(3)	लिपिक	487 रू0	(26 कार्यदिवस)

कार्यवाहक प्राचार्य को सुसंगत यात्रा–भत्ता नियमों के अन्तर्गत यात्रा–भत्ता तथा दैनिक भत्ता प्रदान किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रस्ताव संख्या–4

विश्वविद्यालय द्वारा नवीन याचिका दाखिल किये जाने हेतु विश्वविद्यालय में पैनल अधिवक्ता को भुगतान हेतु फीस का निर्धारण–

निर्णय–

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार करते हुए नवीन याचिका दाखिल करने हेतु अधिवक्ता शुल्क रू0 20,000.00 तथा अन्य व्यय हेतु धनराशि रू0 4000.00 प्रदान किये जाने की स्वीकृति/सहमति प्रदान की गयी।

(संजय कुमार राय)
वित्त अधि0/सचिव

(प्रो0 वंदना सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner